

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), बाँसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : एफ 32 () रसद/केरो.आ./2014/ 1082

दिनांक :-13/10/2016

उप-आवंटन आदेश

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आवंटन आदेश क्रमांक एफ 30 (1) खा.वि./केरोसीन/आवंटन/2016 जयपुर दिनांक 04/10/2016 द्वारा 'माह अक्टूबर से दिसम्बर 2016 के लिये प्रतिमाह 924 केएल केरोसीन का आवंटन जारी किया गया है। माह सितम्बर 2016 में बाद वितरण थोक विक्रेताओं के पास 206.88 केएल केरोसीन स्टॉक में अवशेष है। इसमें क्रमशः त्रिपुरा एजेन्सी 2.17 केएल, सांवरिया केरोसीन 58.83 केएल, सुमतीलाल हजारीमल 37.75 केएल, सिद्धि विनायक केरोसीन 97.73 केएल एवं एट योर डोर 10.40 केएल केरोसीन अवशेष है। इसे सम्मिलित करते हुए विभाग के आदेश क्रमांक एफ 30(1)खावि/केरोसीन/99 दिनांक 14/06/2006 एवं पत्र क्रमांक एफ 30 (1) खा.वि. केरोसीन/2001/ दिनांक 23/01/2003 के निर्देशों की अनुपालना में खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 20 के अध्याधीन जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केरोसीन की वितरण व्यवस्था सुचारु रूप से बनाये रखने हेतु माह अक्टूबर 2016 से दिसम्बर 2016 के लिये केरोसीन का रोस्टर/आवंटन निम्नानुसार जारी किया जाता है।

पंचायत समितितार/थोक विक्रेतावार केरोसीन का आवंटन/रोस्टर (मात्रा केएल में)

क्र.सं.	क्षेत्र	मैं त्रिपुरा एजेन्सी केरोसीन थोक विक्रेता, कुशलगढ	मैं सिद्धि विनायक केरोसीन थोक विक्रेता, गढी	मैं एट योर डोर केरोसीन थोक विक्रेता, बांसवाडा	मैं सुमतीलाल हजारीमल केरोसीन थोक विक्रेता, बांसवाडा	मैं सांवरिया एजेन्सी केरोसीन थोक विक्रेता, घाटोल	योग
1	नगर बांसवाडा	14.74	27.06	0.00	12.65	0.00	54.45
2	नगर कुशलगढ	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7.48
3	पं. स. तलवाडा	0.00	0.00	0.00	0.00	137.83	137.83
4	पं. स. छोटी सरवन	0.00	0.00	0.00	0.00	51.15	51.15
5	पं. स. गढी	0.00	0.00	0.00	168.41	0.00	168.41
6	पं. स. आनन्दपुरी	0.00	0.00	77.22	0.00	0.00	77.22
7	पं. स. बागीदौरा	0.00	0.00	125.95	0.00	0.00	125.95
8	पं. स. सज्जनगढ	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00	85.14
9	पं. स. कुशलगढ	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	76.01
10	पं. स. घाटोल	0.00	154.66	0.00	0.00	0.00	154.66
	योग	183.37	181.72	203.17	181.06	188.98	938.30
	योग (कुल आवंटित)	180.00	180.00	192.00	180.00	192.00	924.00
	आरक्षित	-3.37	-1.72	-11.17	-1.06	3.02	-14.30

निर्देश :-

- ऑयल कम्पनी द्वारा केरोसीन थोक विक्रेताओं को उपरोक्त अंकित केरोसीन की आवंटित मात्रा में परिवर्तन की स्थिति में सम्बन्धित थोक विक्रेता समय पर केरोसीन वितरण से बचे हुए डीलरों की सूची अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेगा, ताकि उन्हें अन्य थोक विक्रेताओं से केरोसीन उपलब्ध करवाया जा सके। प्राप्त आवंटन की तुलना में वितरण सूची में केरोसीन की मात्रा अधिक होने पर पूर्व स्टॉक से आपूर्ति करेंगे।
- अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय के आदेश क्रमांक एफ 65 (2) खा.वि./ एल.पी.जी./पेपर कटिंग/ 06 दिनांक 18/02/2011 के द्वारा केरोसीन थोक विक्रेताओं को प्रत्येक माह 1 से 14 तारीख के मध्य 70 प्रतिशत तथा 15 से माह की अन्तिम तिथि तक 30 प्रतिशत केरोसीन तेल का उठाव करने एवं दिनांक 1 से 14 एवं 15 से माह की अन्तिम तिथि का पृथक - पृथक रोस्टर जारी करने के निर्देश हैं।
- बिन्दु संख्या 1 की पालना में पंचायत समितितार प्रत्येक माह की 1 से 14 (70 प्रतिशत) एवं दिनांक 15 से माह की अन्तिम तिथि का पृथक - पृथक रोस्टर जारी किया गया है। अतः रोस्टर के मुताबिक उचित मूल्य दुकानदारों को केरोसीन वितरण किया जावे।
- बिन्दु संख्या 1 की पालना में नगर बांसवाडा एवं नगर कुशलगढ के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को प्रत्येक माह की दिनांक 1 से 14 तारीख तक केरोसीन तेल का उचित मूल्य दुकानदारों को वितरण किया जावे।
- थोक विक्रेता संलग्न सारणी में आवंटित मात्रा के अनुसार ही खुदरा विक्रेताओं को केरोसीन की आपूर्ति करेंगे। आवंटित मात्रा से कम/अधिक मात्रा की आपूर्ति नहीं की जावेगी।
- समस्त प्राधिकृत केरोसीन थोक विक्रेता विभाग के आदेश क्रमांक एफ 30 (1) खा.वि./केरोसीन/आवंटन/2009 जयपुर दिनांक 20/11/09 की सूचना निर्धारित प्रपत्र में दैनिक सूचना नियमित रूप से जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा को प्रस्तुत करेंगे।
- अधिकृत केरोसीन थोक विक्रेताओं द्वारा टेंकर क्रम संख्या अनुसार आपूर्ति किये गये केरोसीन की सूचना आगामी दिवस को सुबह जिला रसद अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार कार्यालयको संलग्न प्रारूप "ख" में प्रस्तुत की जावेगी व प्रारूप "क" व "ग" में माह समाप्ति के 3 दिवस में सूचना प्रस्तुत की जावेगी।

